कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2020–21 दिनांकः– 06/01/22

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–मुख्यालय,
समस्त......

अतिआवश्यक

विषयः– गैर सरकारी विद्यालयों में विज्ञान संकाय में संचालित कृषि विज्ञान विषय को कृषि संकाय में संचालित किये जाने की स्वीकृति के क्रम में।

प्रसंगः– शासन का पत्र क्रमांकः–प.9 (13)शिक्षा–5/2021 दिनांक 20.12.2021

संदर्भः– शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2020–21 दिनांकः–21.12.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा गैर सरकारी विद्यालय जिनमें विज्ञान संकाय में कृषि विषय संचालित है, उन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021–22 से कृषि विषय को विज्ञान संकाय के एक विषय के स्थान पर पृथक से कृषि संकाय के रूप में संचालित किये जाने की अनुमति प्रति विद्यालय निर्धारित राशि 50,000/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर एतद्द्वारा प्रदान की जाकर निर्देशित किया गया था, कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रार्थना पत्र मय, विज्ञान संकाय में कृषि विषय के मान्यता आदेश की प्रति एवं निर्धारित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट आपके कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर उन विद्यालयों के प्रकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत कर निदेशालय के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किये जाएं। उक्त के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रानुसार संपादित की जावे :–

क्र.सं.	कार्यवाही	अवधि	संबंधित कार्यालय
1.	विज्ञान संकाय में कृषि विषय संचालित को विज्ञान संकाय को एक विषय के स्थान पर पृथक से कृषि संकाय के रूपमें संचालित किये जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना। मय मान्यता आदेश की प्रति।	10/01.2022 से 24/01.2022 तक	संस्था सचिव–गैर सरकारी विद्यालय
2.	प्रार्थना पत्र के पश्चात् प्रकरण का परीक्षण उपरान्त नियमानुसार शुल्क की गणना कर शुल्क राशि का अंकन करते हुए (डी.डी/एफ.डी) संबंधित विद्यालय को जमा करवाये जाने हेतु सूचित करना।	प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
3.	नियमानुसार शुल्क जमा की कार्यवाही	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शुल्क जमा करवाये जाने हेतु सूचित किये जाने के 03 दिवस के भीतर	संबंधित संस्था सचिव–गैर सरकारी विद्यालय
4.	अनुमोदन हेतु निदेशालय को पूर्ण प्रकरण मय प्रार्थना पत्र, शुल्क जमा करावाये जाने हेतु संबंधित संस्था को प्रेषित पत्र तथा प्रेषित पत्र की पावती एफ.डी/डी.डी की प्रमाणित (जिशिअ द्वारा) छाया प्रति निदेशालय को प्रेषित करना।	31/ 01.2022 तक	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
5.	निदेशालय द्वारा अनुमोदन किये जाने पर जिशिअ द्वारा आदेश जारी कर विद्यालय को उपलब्ध करवाना एवं जारी किये गये आदेशों की सूचना निदेशालय को प्रेषित करना।	निदेशालय से आदेश की प्रति प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर	संबंधित जिशिअ कार्यालय

संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सम्पूर्ण कार्यवाही उपरोक्त टाईम फ्रेम के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।

6.1.22
(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर